न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 28 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023 / 354

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. जगदीशचन्द्र पिता दीपा लाल जाट निवासी किशोरपुरा तहसील रायपुर		1. लैण्ड हॉल्डर जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जाकिर हुसैन रंगरेज, प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी पैराकार सरकार उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक–07.10.2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का टुंगच के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 62 में अंकित आ.स. 371 / 326 रकबा 1.00 है0 भूमि स्थित हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता ग्राम आसुणा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 23 किस्म गै.मु. सड़क से होकर बिलानाम आराजी संख्या 28 में स्थित 30 फीट चौड़ा रास्ता है जिससे प्रार्थी वर्षो से अपनी उक्त आराजी में आवागमन करता चला आ रहा है तथा इसी रास्ते से अपने संज, बैलगाड़ी आदि लाता ले जाता है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम किशोरपुरा में स्थित कृषि आ.स. 371 / 326 रकबा 1.00 है0 में आवागमन के लिए ग्राम आसुणा प0ह0 खाखरमाला कि बिलानाम आराजी संख्या 28 में तीस फिट चौड़ा रास्ता सड़क की आराजी संख्या 23 से प्रार्थी की भूमि तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान फरमाया जाकर उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमी की डीएलसी दर से राशी विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

03. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

04. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 28 में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 371 / 326 तक 30 फिट चौड़ा रास्ता भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है।

05. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 28 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/प्र0स0/28/23/988 दिनांक 19.08.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. यह है कि ग्राम किशोरपुरा के आराजी संख्या 371/326 रकबा 1.00 है0 किस्म गै.मु. मंगरी प्रार्थी जगदीशचन्द्र पिता दीपालाल जाट निवासी किशोरपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है।

ii. यह है कि आराजी संख्या 371/326 भूमि के पश्चिम में सटी खसरा संख्या 372/326 कुल रकबा 1.05 है0 जिसमें से किस्म गेमु रास्ता 1.00 है0 व किस्म गे.मु. मंगरी 0.05 है0 बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त रास्ता प्रार्थी के ग्राम किशोरपुरा से सीधा खातेदारी आराजी तक जाता है तथा आवागमन हेतु सुगम है इसमें किसी प्रकार की कोई रोक–टोक नही है।

iii. यह है कि ग्राम आसुणा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 23 गे.मु. सड़क से व बिलानाम आराजी नम्बर 28 रकबा 0.54 है0 जिसमें से 0.20 है0 गे.मु. रास्ता व 0.34 है0 पड़त।।। दर्ज रेकार्ड है जिसमें से प्रार्थी गेमु. सड़क होने से बिलानाम आराजी संख्या 38 मे से 30 फीट चोड़ाई में रास्ता दर्ज करवाना चाहता है जो न्यायसगंत नही है।

iv. यह है कि रेकार्ड एवं मौके पर स्थित रास्ते को नक्शा ट्रेस में हरी स्याही एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

v. यह है कि प्रार्थी के चाहे गये रास्ते का मौका निरीक्षण प्रार्थी की मौजुदगी में किया गया है।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना :– (1) जहाँ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

07. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 371/326 में आवागमन हेंतु रास्ता आराजी संख्या 28 में चाहा गया जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 372/326 एवं में रास्ता बिलानाम दर्ज रेकार्ड है उक्त रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 371/326 तक जाता है तथा आवागमन सुगम है एवं उक्त रास्ते में किसी प्रकार की रोक टोक नही है। उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु रास्ता बताया गया है। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में आराजी संख्या 28 मे से 30 फीट चौड़ाई में प्रार्थी रास्ता दर्ज करवाना चाहता है उसे न्यायसंगत नही बताया गया है। प्रार्थी की आराजियात में पहुँच मार्ग है।

अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नही होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा